

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3,
SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
[CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES]

12
27/3/16

Rekhe

**Income-tax
NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st March, 2016

S.O. (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 249, read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (3rd Amendment) Rules, 2016.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Income-tax Rules, 1962 (herein after referred to as the said rules) , for rule 45, the following rule shall be substituted, namely:-
“45. Form of appeal to Commissioner (Appeals).-(1)An appeal to the Commissioner(Appeals) shall be made in Form No. 35.
(2) Form No. 35 shall be furnished in the following manner, namely:-
 - (a) in the case of a person who is required to furnish return of income electronically under sub-rule(3) of rule 12,-
 - (i) by furnishing the form electronically under digital signature, if the return of income is furnished under digital signature;
 - (ii) by furnishing the form electronically through electronic verification code in a case not covered under sub-clause (i);
 - (b) in a case where the assessee has the option to furnish the return of income in paper form, by furnishing the form electronically in accordance with clause (a) of sub-rule(2) or in paper form.
- (3) The form of appeal referred to in sub-rule (1), shall be verified by the person who is authorised to verify the return of income under section 140 of the Act, as applicable to the assessee.
- (4) Any document accompanying Form No. 35 shall be furnished in the manner in which the said form is furnished.
- (5) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall-
 - (i) specify the procedure for electronic filing of Form No.35 and documents;
 - (ii) specify the data structure, standards and manner of generation of electronic verification code,

referred to in sub-rule(2), for the purpose of verification of the person furnishing the said form; and

(iii) be responsible for formulating and implementing appropriate security, archival and retrieval of policies in relation to the said form so furnished.”

3. In the said rules, in Appendix-II, for Form No.35, the following form shall be substituted, namely:-

“FORM NO. 35

(See rule 45)

Appeal to the Commissioner of Income-tax (Appeals)

Personal Information	First Name	Middle Name	Last Name or Name of Entity	PAN	
				TAN (if available)	
	Flat/ Door/ Block No.		Name of Premises/ Building/ Village	Road/ Street/ Post Office	
	Area/ Locality		Town/City/District	State (Select)	
Country (Select)	Pin Code	Phone No. with STD code/ Mobile No.	Email Address		
Whether notices/ communication may be sent on email? Yes/ No					
Order against which Appeal is filed	1	Assessment year in connection with which the appeal is preferred/ Enter financial year in case appeal is filed against an order where assessment year is not relevant		Assessment Year	
				Financial Year	
	2	Details of the order appealed against			
		a	Section and sub-section of the Income-tax Act, 1961		
	b	Date of Order			
	c	Date of service of Order / Notice of Demand			
3	Income-tax Authority passing the order appealed against				
Pending Appeal	4	Whether an appeal in relation to any other assessment year/ financial year is pending in the case of the appellant with any Commissioner (Appeals)			Yes/ No
	4.1	If reply to 4 is Yes, then give following details.-			
		a	Commissioner (Appeals), with whom the appeal is pending		
		b	Appeal No. and date of filing of appeal		
		c	Assessment year/ financial year in connection with which the appeal has been preferred		
		d	Income-tax Authority passing the order appealed against		
		e	Section and sub-section of the Income-tax Act, 1961, under which the order appealed against has been passed		
	f	Date of such Order			
Appeal Details	5	Section and sub-section of the Income-tax Act, 1961 under which the appeal is preferred			
	6	If appeal relates to any assessment			
		a	Amount of Income Assessed (in Rs.)		
		b	Total Addition to Income (in Rs.)		
		c	In case of Loss, total disallowance of Loss in assessment (in Rs.)		
		d	Amount of Addition/ Disallowance of Loss disputed in Appeal (in Rs.)		
		e	Amount of Disputed Demand (in Rs.) – Enter Nil in case of Loss		
7	If appeal relates to penalty:				
	a	Amount of penalty as per Order (in Rs.)			
	b	Amount of penalty disputed in Appeal (in Rs.)			

Details of Taxes paid	8	Where a return has been filed by the appellant for the assessment year in connection with which the appeal is filed, whether tax due on income returned has been paid in full			Yes/No/ Not Applicable
	8.1	If reply to 8 is Yes, then enter details of return and taxes paid			
	a	Acknowledgement number			
	b	Date of filing			
	c	Total tax paid			
Statement of facts, Grounds of Appeal and additional evidence	9	Where no return has been filed by the appellant for the assessment year, whether an amount equal to the amount of advance tax as per section 249(4)(b) of the Income-tax Act, 1961 has been paid			Yes/No/ Not Applicable
	9.1	If reply to 9 is Yes, then enter details Tax Payments			
		BSR Code	Date of payment	Sl. No.	Amount
		Total			
Statement of facts, Grounds of Appeal and additional evidence	10	If the appeal relates to any tax deductible under section 195 of the Income-tax Act, 1961 and borne by the deductor, details of tax deposited under section 195(1)			
		BSR Code	Date of payment	Sl. No.	Amount
Statement of facts, Grounds of Appeal and additional evidence	11	Statement of Facts Facts of the case in brief (not exceeding 1000 words) List of documentary evidence relied upon			
	12	Whether any documentary evidence other than the evidence produced during the course of proceedings before the Income-tax Authority has been filed in terms of rule 46A			Yes / No
	12.1	If reply to 12 is Yes, furnish the list of such documentary evidence			
	13	Grounds of Appeal (each ground not exceeding 100 words)			
		1.			
Appeal filing details	14	Whether there is delay in filing appeal			Yes/ No
	15	If reply to 13 is Yes, enter the grounds for condonation of delay (not exceeding 500 words)			
	16	Details of Appeal Fees Paid			
		BSR Code	Date of payment	Sl. No.	Amount
	17	Address to which notices may be sent to the appellant			

Form of verification

I, _____ the appellant, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief. It is also certified that no additional evidence other than the evidence stated in row 12.1 above has been filed.

Place


Signature

Date

”

[Notification No. 1 /2016, F.No.149/150/2015-TPL]

Deputy Secretary to the Government of India


(Ekta Jain) 1/3/2016

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended vide notification number S.O.502(E), dated the 17.02.2016.

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016

आय-कर
अधिसूचना

का. आ.(अ)-- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित की धारा 249 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2016 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 45 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“45 : आयुक्त (अपील) को अपील का प्रारूप - (1) आयुक्त (अपील) को कोई अपील प्रारूप सं. 35 में की जाएगी ।

(2) प्रारूप सं. 35 निम्नलिखित रीति में दिया जाएगा, अर्थात् :-

(क) किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जिससे आय की विवरणी नियम 12 के उपनियम (3) के अधीन इलैक्ट्रॉनिक रूप में देने की अपेक्षा की जाती है, -

(i) प्रारूप को इलैक्ट्रॉनिक रूप में डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन देते हुए, यदि आय की विवरणी डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन दी जाती है;

(ii) उपखंड(i) के अंतर्गत न आने वाले मामले की दशा में प्रारूप को इलैक्ट्रॉनिक रूप में इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से देते हुए ;

- (ख) किसी ऐसी दशा में जहां निर्धारिती के पास आय की विवरणी को कागज प्ररूप में देने का विकल्प है, प्ररूप को इलैक्ट्रानिक रूप में उप नियम (2) के खंड (क)के अनुसार या कागज प्ररूप में देते हुए ।
- (3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट अपील का प्ररूप किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा जो अधिनियम की धारा 140 के अधीन आय की विवरणी को सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत है, जैसा कि निर्धारिती को लागू है ।
- (4) प्ररूप सं. 35 के साथ संलग्न कोई दस्तावेज ऐसी रीति में दिया जाएगा, जिसमें उक्त प्ररूप दिया जाता है ।
- (5) यथास्थिति, प्रधान महानिदेशक आयकर, (प्रणाली) या महानिदेशक आयकर (प्रणाली) -
- (i) प्ररूप सं. 35 और दस्तावेजों को इलैक्ट्रानिक रूप में फाइल करने के लिए प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेगा;
- (ii) उक्त प्ररूप को देने वाले व्यक्ति के सत्यापन के प्रयोजन के लिए उपनियम (2) में निर्दिष्ट डाटा संरचना, इलैक्ट्रानिक सत्यापन के सृजन के मानक और रीति विनिर्दिष्ट करेगा ; और
- (iii) इस प्रकार दिए गए उक्त प्ररूप के संबंध में नीतियों की समुचित सुरक्षा पुरालेखीय और पुनःप्राप्ति बनाने और कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा ।”

3. उक्त नियमों में परिशिष्ट 2 में, प्ररूप सं. 35 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्

“प्ररूप सं. 35

(नियम 45 देखें)

आयकर आयुक्त (अपील) को अपील

व्यक्तिगत सूचना	प्रथम नाम	मध्यम नाम	अंतिम नाम या सत्ता का नाम	पैन
				टैन (यदि उपलब्ध हो)
	फ्लैट/द्वार/ब्लॉक सं.		परिसर/भवन/गांव का नाम	सड़क, गली, डाकघर
	क्षेत्र/स्थान		नगर/शहर/जिला	राज्य (चयन करें)
देश (चयन करें)	पिन कोड	फोन नं. एसटीडी कोड सहित/मोबाइल नं.	ईमेल पता यदि नोटिस/पत्र ई मेल द्वारा भेजे जाएं? हां/नहीं	

जिस आदेश के विरुद्ध अपील फाइल की गई हो	1	निर्धारण वर्ष जिसके संबंध में अपील प्रस्तुत की गई हो/वित्तीय वर्ष की प्रविष्टि करें, यदि अपील ऐसे आदेश के विरुद्ध फाइल की जाती है जहां निर्धारण वर्ष सुसंगत न हो	निर्धारण वर्ष	
	2	जिस आदेश के विरुद्ध अपील फाइल की गई हो, उसके ब्यौरे	वित्तीय वर्ष	
	क	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा और		

		उपधारा	
		ख आदेश की तारीख	
		ग आदेश/मांग का नोटिस, तामील करने की तारीख	
	3	आयकर प्राधिकारी, जिसने अपील के विरुद्ध आदेश पारित किया है।	
	4	यदि किसी अन्य निर्धारण वर्ष/ वित्तीय वर्ष के संबंध में कोई अपील अपीलार्थी के मामले में किसी आयुक्त अपील के पास लंबित है।	हां/नहीं
लंबित अपील	4.1	यदि उपरोक्त सं. 4 का उत्तर हां हो तो निम्नलिखित ब्यौरे दें --	
		क आयुक्त (अपील), जिसके पास अपील लंबित है	
		ख अपील सं. और अपील फाइल करने की तारीख	
		ग निर्धारण वर्ष/वित्तीय वर्ष जिसके संबंध में अपील प्रस्तुत की गई है	
		घ आयकर प्राधिकारी, जिसने अपील के विरुद्ध आदेश पारित किया है	
		ड. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा और उपधारा, जिसके अधीन की गई अपील के विरुद्ध आदेश पारित किया गया है।	
		च ऐसे आदेश की तारीख	
अपील के ब्यौरे	5	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा और उपधारा जिसके अधीन अपील प्रस्तुत की गई हो	

	6		यदि अपील किसी निर्धारण से संबंधित हो	
		क	निर्धारित आय की रकम (रुपये में)	
		ख	आय में कुल जोड़ (रुपये में)	
		ग	हानि की दशा में, निर्धारण में हानि की कुल नामंजूरी (रुपये में)	
		घ	अपील में विवादित हानि का जोड़/ नामंजूरी की रकम (रुपये में)	
		ड.	विवादित मांग की रकम (रुपये में) हानि की दशा में शून्य प्रविष्ट करें	
	7		यदि अपील शास्ति से संबंधित है :	
		क	आदेश के अनुसार शास्ति की रकम (रुपये में)	
		ख	अपील में विवादित शास्ति की रकम (रुपये में)	
संदत्त करों के ब्यौरे	8		जहां अपीलार्थी द्वारा निर्धारण वर्ष के लिए, जिसके संबंध में अपील फाइल की गई हो विवरणी फाइल की गई है, यदि विवरणित आय पर देय कर पूर्णतः संदत्त किया गया है	हां/ नहीं/लागू नहीं
	8.1		यदि उपरोक्त संख्या 8 का उत्तर हां है तो विवरणी और संदत्त करों के ब्यौरे प्रविष्ट करें	
		क	पावती संख्या	
		ख	फाइल करने की तारीख	
		ग	कुल संदत्त कर	
	9		जहां अपीलार्थी द्वारा निर्धारण वर्ष के लिए कोई विवरणी फाइल नहीं की गई हो, यदि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 249 (4) (ख) के अनुसार	हां/ नहीं/लागू नहीं

		अग्रिम कर की रकम के समान कोई रकम संदत्त की गई है													
	9.1	यदि उपरोक्त संख्या 9 का उत्तर हां है तो ब्यौरे प्रविष्ट करें । कर संदाय <table border="1"> <thead> <tr> <th>बीएसआर कोड</th> <th>संदाय की तारीख</th> <th>क्रम संख्या</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>कुल जोड़</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	बीएसआर कोड	संदाय की तारीख	क्रम संख्या	रकम					कुल जोड़				
बीएसआर कोड	संदाय की तारीख	क्रम संख्या	रकम												
कुल जोड़															
	10	यदि अपील, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 195 के अधीन कटौती योग्य किसी कर से संबंधित है और कटौती कर्ता द्वारा वहन की गई है, तो धारा 195 (1) के अधीन निक्षिप्त कर के ब्यौरे <table border="1"> <thead> <tr> <th>बीएसआर कोड</th> <th>संदाय की तारीख</th> <th>क्रम संख्या</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>कुल जोड़</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	बीएसआर कोड	संदाय की तारीख	क्रम संख्या	रकम					कुल जोड़				
बीएसआर कोड	संदाय की तारीख	क्रम संख्या	रकम												
कुल जोड़															
तथ्यों का विवरण, अपील के आधार और अतिरिक्त साक्ष्य	11	तथ्यों का विवरण													
		मामले के तथ्य, संक्षेप में (हजार शब्दों से अनधिक)													
		दस्तावेजी साक्ष्यों की सूची, जिन पर विश्वास किया गया है													
	12	यदि आयकर प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही के दौरान पेश किए गए साक्ष्य से अन्यथा कोई दस्तावेजी साक्ष्य नियम 46क के संबंध में फाइल किए गए हैं	हां/नहीं												
	12.1	यदि उपरोक्त संख्या 12 का उत्तर हां है तो ऐसे													

		दस्तावेजी साक्ष्य की सूची दें													
	13	अपील के आधार (प्रत्येक आधार 100 शब्दों से अनधिक)													
		1.													
		2													
		3													
अपील फाइल करने के ब्यौरे	14	यदि अपील फाइल करने में विलंब हुआ हो	हां/नहीं												
	15	यदि उपरोक्त संख्या 13 का उत्तर हां है तो विलंब की माफी हेतु आधार प्रविष्ट करें (500 शब्दों से अनधिक)													
	16	संदत्त अपील फीस के ब्यौरे													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>बीएसआर कोड</th> <th>संदाय की तारीख</th> <th>क्रम संख्या</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	बीएसआर कोड	संदाय की तारीख	क्रम संख्या	रकम									
बीएसआर कोड	संदाय की तारीख	क्रम संख्या	रकम												
	17	पता जिस पर अपीलार्थी को नोटिस भेजे जा सकेंगे													

सत्यापन का प्ररूप


मैं अपीलार्थी, एतदद्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर किए गए कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पंक्ति 12.1 में कथित साक्ष्य से अन्यथा कोई अतिरिक्त साक्ष्य फाइल नहीं किए गए हैं।

स्थान

तारीख

हस्ताक्षर

(अधिसूचना सं.//...../2016/फा. सं. 149/150/2015-टीपीएल)


(एकता जैन)
11/03/2016

उप सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) अधिसूचना सं. का.आ. 969 (अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. का.आ. 502(अ) तारीख 17/02/2016 द्वारा संशोधित किए गए।